

प्रेस नोट दिनांक 13.04.2025
थाना बारादरी जनपद बरेली

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा लूट के उद्देश्य से आये 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक नाजायज चाकू एवं एक बिना नम्बर को मोटर साईकिल बरामद।

थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर 02 व्यक्ति सवार जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे तथा पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए पीछा कर घेर कर मय मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट, अवैद्य असलहा 01 नाजायज तमंचा जिसकी नाल में फंसा एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम 1. सोनू उर्फ सतेन्द्र पाल सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी चकरपुर रोड पाण्डे अस्पताल के पास थाना बाजपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र करीब 28 वर्ष 2. दीपक सिंह उर्फ विक्की पुत्र सतनाम सिंह निवासी ग्राम मुकरबपुर थाना बिलासपुर रामपुर उम्र करीब 30 वर्ष बताया, उपरोक्त अभियुक्त का लूट करने का आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 353/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 पुलिस मुठभेड़ व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

सोनू उर्फ सतेन्द्र पाल सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी चकरपुर रोड पाण्डे अस्पताल के पास थाना बाजपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

1. मु0अ0सं0 0642/2015 धारा 302/394 भादवि थाना स्वार जिला रामपुर
2. मु0अ0सं0 0760/2019 धारा 411/413/414 भादवि थाना कोतवाली जिला सीतापुर
3. मु0अ0सं0 0761/2019 धारा 25(1B) आयुध अधि0 थाना कोतवाली जिला सीतापुर
4. मु0अ0सं0 353/2025 धारा 109 BNS पुलिस मुठभेड़ व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली

दीपक सिंह उर्फ विक्की पुत्र सतनाम सिंह निवासी ग्रा0 मुकरबपुर थाना बिलासपुर रामपुर उम्र 30 वर्ष

1. मु0अ0सं0 0255/2018 धारा 419/420 भादवि थाना बिलासपुर जिला रामपुर
2. मु0अ0सं0 353/2025 धारा 109 BNS पुलिस मुठभेड़ व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली
3. मु0अ0सं0 0377/2022 धारा 392 भादवि थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि अभियुक्तगण जनपद सीतापुर व मुरादाबाद आदि स्थानों से पूर्व में लूट व अन्य अपराध के मामले में जेल जा चुके हैं। दोनों अभियुक्त जिसमें एक उत्तराखण्ड एवं एक विलासपुर रामपुर का रहने वाला है। लगभग 10-12 दिन पहले जनपद बरेली घूमने आये थे, इसी दौरान इन्होंने पीलीभीत बाईपास रोड पर विलय धाम से लेकर सैटेलाइट तक रैकी की थी, तथा लगाये गये सीसीटीवी कैमरों को देखा था एवं उसी दिन निर्णय किया था कि दोनों साथ में आकर इस रूट पर लूट की घटना कारित करेंगे। जिसमें चैन लूट व पैसे की लूट व मोबाइल की लूट या किसी भी प्रकार की लूट करते। इसके लिए इन्होंने उत्तराखण्ड से ही बिना नम्बर की एक अपाचे काला रंग की मो0 सा0 की व्यवस्था की व पकड़े जाने पर अपनी सुरक्षा हेतु अवैद्य असलहा साथ रखे थे। जिससे अपना वचाब कर सके। कोई लूट की घटना कारित करते कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में कब कब जनपद में आवागमन किया गया है एवं अन्य किन घटनाओं में शामिल रहे हैं, इस बारे में गहनता से पूछताछ कर जानकारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी:-

01. 01 नाजायज तमंचा नाल में फंसा खोखा कारतूस 315 बोर
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 नाजायज चाकू
04. 01 मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट

पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।
2. उ0नि0 सनी चौधरी थाना बारादरी बरेली
3. उप निरी0 गौरव कुमार अत्री थाना बारादरी बरेली
4. हे0का0 480 विशाल थाना बारादरी बरेली
5. हे0का0 528 ब्रिजेश थाना बारादरी बरेली
6. हे0का0 769 राघवेन्द्र सिंह थाना बारादरी बरेली
7. हे0का0 144 विनोद सिंह थाना बारादरी बरेली
8. का0 684 अजीत कुमार थाना बारादरी बरेली